



ओरिएण्टल स्टाफ ट्रेनिंग कालेज

सैक्टर-11, बाटा मोड, फरीदाबाद- 21006

दूरभाष : 2285470, 2290175, 2281295

विभाग : स्थापना
2012

दि. 11-01-

विषय – ओ.एस.टी.सी. परिसर में पड़े मेज, कुर्सी, कूलर, गीजर, पंखे, फोटोकापी मशीन दूसरे बिजली तथा लकड़ी की वस्तुओं व अन्य कबाड की नीलामी द्वारा बिक्री के नियम व शर्तें ।

1. ओ.एस.टी.सी. परिसर में पड़े उपरोक्त बिकाऊ सामान की खुली नीलामी द्वारा बिक्री
दि. 23-01-2012 को सुबह 11.00 बजे की जायेगी ।
2. उपरोक्त बिकाऊ सामान " जैसा है जहाँ है के आधार पर " (AS IS WHERE IS BASIS) पर नीलाम किया जायेगा ।
3. उपरोक्त बिकाऊ सामान की नीलामी की कार्यवाही हमारे कार्यालय द्वारा अधिकृत नीलामीकर्ता "एक्यूरेट आक्शनर्स" फ्लैट न. 5 गीता ऐपार्टमेंट्स, बी एल-17, गीता कालोनी, दिल्ली - 110031 द्वारा ओ.एस.टी.सी. के परिसर में दि. 23-01-2012 को सुबह 11.00 बजे की जायेगी ।
4. उपरोक्त बिकाऊ सामान को खरीदने के लिये आपको नीलामी की कार्यवाही में शामिल होने के लिये अपने साथ ई. एम. डी. (EMD) की राशि के तौर पर रुपये 10,000/- का डिमांड ड्राफ्ट
साथ लाना होगा। जिसे नीलामीकर्ता के पास जमा करवाना होगा । यह डिमांड ड्राफ्ट " दि.ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. खाता स्टाफ ट्रेनिंग कालेज " के नाम में बनेगा जो कि फरीदाबाद के किसी शैड्यूलड बैंक पर देय होगा। ई. एम. डी. (EMD) का डिमांड ड्राफ्ट साथ न लाने की स्थिति में नीलामी की कार्यवाही में शामिल नहीं होने दिया जायेगा।
5. नीलामी की कार्यवाही में शामिल होने के लिये अपने साथ कोई भी एक नाम तथा पते का सबूत जैसे कि राशन कार्ड, बिजली/ टेलिफोन का बिल/ ड्राइविंग लाईसेंस/ पैन कार्ड आदि की फोटो कापी पहचान के तौर पर अवश्य ही लेकर आये ।

6. जिस बोलीकर्ता की बोली राशि सबसे अधिक होगी उसे बोली की पूर्ण राशि की 25% राशि नकद रूप में उसी समय नीलामी कर्ता के पास जमा करवानी होगी । तथा बकाया 75% राशि एवं पूर्ण राशि पर जो भी बिक्री कर लागू होगा मिला कर दि. 25-01-2012 को दोपहर 2.00 बजे तक हमारे कार्यालय में जमा करानी होगी अन्यथा ई. एम. डी. (EMD) की राशि रुपये 10,000/- समेत 25% जमा राशि जब्त कर ली जायेगी ।

7. बोली कर्ता को पूर्ण राशि को जमा करवाने के पश्चात दि. 27-01-2012 को दोपहर 2.00 बजे तक अपने खर्चे पर उपरोक्त सामान को हमारे कार्यालय के परिसर से उठवाना होगा, अन्यथा ई. एम. डी. (EMD) की राशि रुपये 10,000/- सहित हमारे कार्यालय में जमा पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी ।

8.. प्राचार्य को नीलामी द्वारा बिक्री के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के बदलाव करने का पूर्ण अधिकार है ।

9. ओरिएण्टल स्टाफ ट्रेनिंग कालेज के प्राचार्य को उपरोक्त नीलामी को बिना कारण रद्द करने का पूर्ण अधिकार है ।